

## प्रेस नोट दिनांक 07.07.2026

### थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना मान्धाता के उ0नि0 अमरेश यादव मय हमराह का0 विनोद कुमार\* द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारंटी अभियुक्त के दौरान, मा0 एडिसनल चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट न0 13 जनपद प्रतापगढ़ के केस न0 10365/2020 धारा 452/325/506/504/323 भादवि से सम्बंधित 01 वारंटी अभियुक्त रामवृक्ष पुत्र नान्हू हरिजन नि0 ग्राम पीपरताली थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रामवृक्ष पुत्र नान्हू हरिजन नि0 ग्राम पीपरताली थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 घनश्याम यादव मय हमराह हे0का0 विनोद कुमार, का0 आलोक कुमार बैसवारा थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

### थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़

थाना फतनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता: शराब के नशे में मारपीट करने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, घटना में प्रयुक्त 01 अदद बांस की लाठी बरामद-

थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत सुवन्सा नहर पुलिया के पास से दबोचे गए तीन आरोपी: पुलिस पूछताछ में कबूला जुर्म, बोले- 'नशे में थे और भागने की फिराक में थे-

जनपद प्रतापगढ़ में अभियुक्त सोनू उपाध्याय के विरुद्ध 13, अभियुक्त पवन पाण्डेय के विरुद्ध 09 तथा अभियुक्त दीपक तिवारी के विरुद्ध 03 अभियोग पंजीकृत हैं। इन अभियोगों में मारपीट, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम सहित अन्य गंभीर आपराधिक धाराओं के मामले शामिल हैं।

प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देशन में चलाए जा रहे 'अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान' के तहत थाना फतनपुर पुलिस ने 05 जुलाई की रात हुई मारपीट और जानलेवा हमले की घटना का सफल अनावरण करते हुए तीनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लाठी भी बरामद कर ली है-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.07.2026 को अभियुक्तगण सोनू उपाध्याय, दीपक तिवारी एवं पवन पाण्डेय एक राय होकर नियाज अहमद को मारते-पीटते हुए उसके घर के सामने ले आए तथा कट्टे की बट एवं डंडे से मारपीट करने लगे। शोर सुनकर बीच-बचाव करने पहुंचे वादी एवं उनके भाई के साथ भी मारपीट की गई, जिससे वादी के सिर में चोटें आई तथा वादी के भाई के हाथ में दात काटकर घायल कर दिया गया। घटना के दौरान अभियुक्त द्वारा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने एवं पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। इस संबंध में थाना फतनपुर में मु0अ0सं0 181/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3) B.N.S बनाम 03 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना फतनपुर के उ0नि0 राजनाथ यादव मय हमराह का0 आशुतोष तिवारी, का0 देवेन्द्र सिंह, रि0का0 सुशील कुमार, का0 अभिषेक सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारंटी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 181/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3) B.N.S से

संबंधित 03 अभियुक्तों, 01. सोनू उपाध्याय पुत्र विजय प्रकाश नि0ग्राम रामापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष, 02. दीपक तिवारी पुत्र लोक नाथ तिवारी नि0ग्राम सण्डौरा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष, 03. पवन पाण्डेय पुत्र सतीश पाण्डेय नि0ग्राम थाहीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत सुवन्सा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

#### पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 05.07.2026 को रात्रि करीब 10 बजे मारपीट हुयी थी जिसमें हमलोग शराब के नशे में गुरुसे में आकर के नियाज को लाठी डण्डे से मारपीट रहे थे। तभी बचाने आये, राकेश शर्मा व राजकुमार शर्मा को मार दिये थे जिससे उन्हें गम्भीर चोट आयी थी। नियाज का सर फट गया। यह लोग मुकदमा लिखवा दियो जब जानकारी हुयी तो हमलोग बाहर भागने के लिये मिलकर बाते कर रहे थे कि आप लोगो ने पकड लिया। पकडे गये व्यक्तियों से घटना मे प्रयुक्त लाठी डण्डा के बारे मे पूछने पर सोनू उपाध्याय ने बताया कि सिर में जिस लाठी से मारा था उसे रास्ते में ओवर ब्रीज रामापुर के बगल कब्रीस्तान की झाड़ में फेक दिया था। अभियुक्त निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त एक अदद बांस की लाठी बरामद की गई।

#### गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. सोनू उपाध्याय पुत्र विजय प्रकाश नि0ग्राम रामापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।
2. दीपक तिवारी पुत्र लोक नाथ तिवारी नि0ग्राम सण्डौरा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष।
3. पवन पाण्डेय पुत्र सतीश पाण्डेय नि0ग्राम थाहीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष।

#### आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त सोनू उपाध्याय उर्फ सौरभ पुत्र विजय प्रकाश उपाध्याय उर्फ भोथे निवासी उपाध्याय का पुरा रामापुर, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 70/2021, धारा- 323, 504, 506 भादवि, थाना- फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0- 209/2022, धारा- 323, 354, 504, 506 भादवि, थाना- फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0- 288/2022, धारा- 147, 323, 504, 506 भादवि, थाना- फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0- 24/2023, धारा- 307, 427, 504, 506 भादवि एवं 4/5 विस्फोटक अधिनियम, थाना- फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0- 32/2023, धारा- 4/5 विस्फोटक अधिनियम, थाना- फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0- 72/2024, धारा- 386 भादवि एवं 3/25 आयुध अधिनियम, थाना- फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।
7. मु0अ0सं0- 112/2024, धारा- 323, 325, 427, 504, 506 भादवि, थाना- फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।
8. मु0अ0सं0- 198/2024, धारा- 109, 190, 191(2), 191(3), 310(2), 317(3), 352 बीएनएस एवं 25, 27, 3 आयुध अधिनियम, थाना- फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।
9. मु0अ0सं0- 264/2024, धारा- 115(2), 351(3), 352 बीएनएस, थाना- फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।
10. मु0अ0सं0- 265/2025, धारा- 4/5 विस्फोटक अधिनियम, थाना- फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।
11. मु0अ0सं0- 87/2025, धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना- फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।
12. मु0अ0सं0- 283/2025, धारा- 115(2), 333, 351(3), 352 बीएनएस, थाना- फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।
13. मु0अ0सं0- 181/2026, धारा- 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस, थाना- फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

02- अभियुक्त दीपक तिवारी पुत्र लोकनाथ तिवारी निवासी ग्राम सण्डौरा, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 273/2015, धारा- 147, 148, 149, 307, 308, 323, 354(ख), 427, 452, 504, 506 भादवि एवं 3(1)(10) एससी/एसटी एक्ट, थाना- रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0- 399/2022, धारा- 147, 148, 149, 286, 307, 323, 504, 506 भादवि, थाना- रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0- 181/2026, धारा- 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस, थाना- फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

03- अभियुक्त पवन पाण्डेय पुत्र सतीश पाण्डेय निवासी ग्राम थाईपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 83/2024, धारा- 147, 307, 323, 386, 504, 506 भादवि, थाना- फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0- 198/2024, धारा- 109, 190, 191(2), 191(3), 310(2), 317(3), 352 बीएनएस एवं 25, 27, 3 आयुध अधिनियम, थाना- फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0- 87/2025, धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना- फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0- 491/2024, धारा- 309(4), 317(2), 351(2), 352 बीएनएस, थाना- कोतवाली सिटी, जनपद प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0- 325/2022, धारा- 147, 148, 149, 323, 504, 506 भादवि, थाना- रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0- 399/2022, धारा- 147, 148, 149, 286, 307, 323, 504, 506 भादवि, थाना- रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

7. मु0अ0सं0- 416/2022, धारा- 3/25 आयुध अधिनियम, थाना- रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़
8. मु0अ0सं0- 60/2023, धारा- 323, 504, 506 भादवि, थाना- रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़
9. मु0अ0सं0- 181/2026, धारा- 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस, थाना- फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त एक अदद बांस की लाठी बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 राजनाथ यादव मय हमराह का0 आशुतोष तिवारी, का0 देवेन्द्र सिंह, रि0का0 सुशील कुमार, का0 अभिषेक सिंह थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

### थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस की प्रभावी कार्यवाही : कूटरचना एवं धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त को थाना रानीगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार-

लगभग 08 माह से वांछित चल रहे अभियुक्त विजय बहादुर यादव को थाना रानीगंज पुलिस द्वारा बभनमई तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी निवासी न्यू कॉलोनी, बाबागंज, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना रानीगंज पर तहरीर देकर अवगत कराया गया कि वर्ष 2018 में उनके द्वारा ग्राम दिवैनी स्थित गाटा संख्याओं का विधिवत क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया था। आरोप है कि दिनांक 24.11.2025 को नामजद अभियुक्तों द्वारा वादी का प्रतिरूपण कर उक्त भूमि के संबंध में कूटरचित इकरारनामा तैयार कर धोखाधड़ीपूर्वक उनकी संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र किया गया। वादी के अनुसार कथित इकरारनामे पर उनका फोटो, हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान नहीं है तथा उसमें अंकित बैंक खाता एवं भुगतान संबंधी विवरण भी उनके अथवा उनकी कंपनी से संबंधित नहीं हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0-451/2025, धारा 319(2), 318(4), 336(2), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस के अंतर्गत 05 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार के निर्देशन एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में थाना रानीगंज प्रभारी निरीक्षक श्री विजय कान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का0 दिलीप कुमार, का0 सौरभ यादव एवं रि0का0 जगन्नाथ यादव द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेंकिंग के दौरान प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर मु0अ0सं0-451/2025, धारा 319(2), 318(4), 336(2), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त विजय बहादुर यादव पुत्र स्व. श्याम सुन्दर यादव, निवासी ग्राम रामपुर खुर्द किशुनदासपुर, थाना मीरगंज, जनपद जौनपुर, उम्र लगभग 37 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत बभनमई तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि लगभग आठ माह पूर्व अपने पिता की बीमारी के कारण आर्थिक आवश्यकता होने पर अपने साथी के साथ मिलकर उक्त घटना को अंजाम दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विजय बहादुर यादव पुत्र स्व. श्याम सुन्दर यादव, निवासी ग्राम रामपुर खुर्द किशुनदासपुर, थाना मीरगंज, जनपद जौनपुर, उम्र करीब 37 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का0 दिलीप कुमार, का0 सौरभ यादव, रि0का0 जगन्नाथ यादव थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।